

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:- एफ 28 ()परायि/प्रशा-2/ग्रासे संघ/ज्ञापन/2011/2264 जयपुर, दिनांक:- 25. 07. 13

आदेश

राज्य की ग्राम पंचायतो में पदस्थापित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों को उनके बहुआयामी कार्य की प्रकृति को देखते हुये 500/- प्रतिमाह दिये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ 28 ()परायि/प्रशा-2 /ग्रासे संघ/ज्ञापन/2011/2457 जयपुर, दिनांक 14.08.2012 द्वारा जारी किये गये थे। उक्त विशेष भत्ते की राशि प्रतिमाह 500/- रुपये को बढ़ाया जाकर 1000/- रुपये प्रतिमाह एवं कैश हेडलिंग भत्ता रुपये 150/- प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। यह बढ़ी हुई दरे दिनांक 01.07.2013 से लागू होगी जिसका भुगतान दिनांक 01.08.2013 को देय होगा। यह विशेष भत्ता अन्य किसी प्रयोजन हेतु मान्य नहीं होगा।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आई. डी. क्रमांक 101302845 दिनांक 17.07.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अपना अभ्यर्थी)
शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज० जयपुर।
- जिला कलक्टर, समस्त।
- वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, राज० जयपुर।
- मुख्य/ अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
- आदेश पत्रावली।
- प्रांतीय महामंत्री, राजस्थान ग्राम सेवक संघ ई-10/84 चित्रकूट योजना, झजमेर रोड, जयपुर।

निदेशक
पंचायती राज विभाग
जयपुर